UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 262- 267

"भारत में औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन"

डॉ. आशीष पाठक
प्राध्यापक
(श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर)

सु.श्री. दिव्या शर्मा
सहा.प्राध्यापक
(श्री उमिया कन्या महाविद्यालय, राऊ)

सारांश

वर्तमान में औद्योगिक एवं व्यावसायिक जगत में 'सामाजिक दायित्व' एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य है, क्योंकि कंपनी अधिनियम द्वारा इस हेतु प्रावधान करना प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सामाजिक दायित्व का अर्थ ऐसे कृत्यों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी होना है, जो किसी व्यक्ति, संस्था या समूचे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु योगदान देते हैं। 20 वीं सदी के मध्य से औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों के सामाजिक दायित्व के सम्बन्ध में एक नई विचारधारा का विकास हुआ है। पहले व्यवसाय एवं उद्योग का महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिकाधिक लाभार्जन करना ही होता था, किन्तु धीरे–धीरे यह विचारधारा परिवर्तित हो गई है। वास्तविकता में उद्योग, व्यवसाय एवं समाज पूर्णतः आपस में सम्बंधित होते हैं, क्योंकि किसी भी उद्योग तथा व्यवसाय की सफलता में समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान होता है। अतः उनका भी समाज के उन वर्गों के प्रति यह उत्तरदायित्व बनता है, कि उनकी उन्नति हेतु उन्हें सहायता प्रदान करें। अतः सामाजिक उन्नति एवं विकास हेतु औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों को भी सरकार के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है। अतः इस शोध पत्र में द्वितीयक समंकों का गहराई से अध्ययन कर इस तथ्य पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, कि विगत दस वर्षों में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानें अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में कहा तक सफल हुए हैं।

कीवर्ड – व्यवसाय, उद्योग एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

प्रस्तावना

17 वीं सदी तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत लगभग 35 प्रतिशत हिस्से के साथ प्रथम स्थान पर था। 1850 तक यह प्रतिशत घटकर 25प्रतिशत तक पहुँच गया। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर देश को लूटना आरम्भ कर दिया। देश से कच्चा माल ब्रिटेन (मेंचेस्टर) भेजना व उससे तैयार भारत में लाने जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाने लगी, जिससे भारतीय उद्योग एवं व्यवसाय संकट में आ गये। उस समय परतंत्र भारत को स्वतंत्रता दिलाने में प्रसिद्ध व्यवसायिक घरानों जैसे बिड़ला, बजाज, टाटा, सिंघानिया आदि ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर अमूल्य योगदान दिया।

20 वीं सदी के मध्य से औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों के सामाजिक दायित्व के सम्बन्ध में एक नई विचारधारा का विकास हुआ है। लगभग 50 वर्ष पूर्व किसी उद्यम एवं व्यवसाय की सफलता को मापने का जो पैमाना था, वह वर्तमान में परिवर्तित हो चुका है। उस समय केवल वे ही व्यावसायिक एवं औद्योगिक संगठन श्रेष्ठ समझे जाते थे, जो मात्र अपने स्वामी हेतु अधिकाधिक लाभर्जन करते थे, किन्तु वर्तमान में इनकी श्रेष्ठता का मूल्यांकन मात्र इसी आधार पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज इनके उत्तरदायित्व

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 262- 267

का निर्वहन अपने स्वामी तक सीमित न रहकर अपने कर्मचारी, उपभोक्ता, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, सरकार, समाज एवं विश्व सभी के प्रति पूर्ण करने तक विस्तृत हो चुका है। इस प्रकार आज किसी भी औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठन को अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के साथ–साथ अनेक सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है। चूँकि व्यक्ति एवं व्यवसाय का सम्बन्ध विश्व के प्राचीनतम संबंधों में से एक है। अतः सामाजिक उन्नति एवं विकास हेतु औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों को भी सरकार के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है।

सामाजिक दायित्व का अर्थ ऐसे कृत्यों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी होना है, जो किसी व्यक्ति, संस्था या समूचे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु योगदान देते हैं। व्यावसायिक उद्यमों हेतु सामाजिक दायित्व का अर्थ है– व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ा हुआ आत्म विनियमन जो टिकाऊ उद्यमिता तक ले जाता है। टिकाऊ उद्यमिता नीतिबद्ध रूप में व्यवहार करने तथा समाज के जीवनस्तर को सुधारने के साथ ही आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की व्यवसाय की वचनबद्धता एवं जिम्मेदारी है। इस प्रकार टिकाऊ उद्यमिता संगठनात्मक परिवर्तन हेतु वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों, विनिवेश, प्रौद्योगिकीय उन्नति के दीर्घकालिक आवंटन की ओर उन्मुख होती है। अतः ऐसी उद्यमिता अधिकतर ऐसे वृहत उद्यमों द्वारा अपनाई जाती है, जो अधिक संख्या वाले हितधारकों जैसे ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, विनियामकों आदि से अर्ध–विधिक या स्वनियामक नीति के रूप में संपर्क में आते हैं, जिसे "कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर)" कहा जाता है, किन्तु सामाजिक दायित्व का दायरा बड़े उद्यमों की परिधि से बाहर भी जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भी सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिसे उद्यम सामाजिक दायित्व(ईएसआर) कहा जाता है।

दि इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइडेशन (आईएसओ) के अनुसार, *"वह पद्धति जिससे फर्में सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक सरोकारों को अपने मूल्यों, संस्कृति, निर्णय–प्रक्रिया, रणनीति एवं परिचालनों में पारदर्शी व जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से शामिल करती हैं और इस प्रकार फर्म के भीतर बेहतर पद्धतियाँ स्थापित करती हैं, संपत्ति निर्मित करती हैं और समाज को सुधारती है।"*

इस प्रकार व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक जीवन के प्रत्येक पक्ष– वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, स्कूलों, अस्पतालों, मानसिक स्वास्थ्य क्लीनिक, कारागारों, निगमों एवं अनेक सार्वजनिक व निजी एजेंसियों में होते हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों तथा परिवारों की सेवा करते हैं। किन्तु वर्तमान में सामाजिक कार्य केवल अच्छे कार्य करने तथा शोषित व्यक्तियों की सहायता करने तक ही सीमित नहीं है, वरन् इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो चुका हैं।

शोध के उद्देश्य :–

भारत में औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन तथा अन्य संस्थानों को इस हेतु को प्रेरित किया जा रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य का पता लगाना ही प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य है।

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 262- 267

उद्योग एवं व्यावसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व :–

उद्योग, व्यवसाय एवं समाज पूर्णतः आपस में सम्बंधित होते हैं, क्योंकि किसी भी उद्योग तथा व्यवसाय की सफलता में समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान होता है। अतः उनका भी समाज के उन वर्गों के प्रति यह उत्तरदायित्व बनता है, कि उनकी उन्नति हेतु उन्हें सहायता प्रदान करें। निम्न तथ्यों से उद्योग तथा व्यवसाय के सामाजिक दायित्व अधिक स्पष्ट होते हैं :–

व्यवसाय एवं उद्योग का प्राथमिक दायित्व उसके स्वयं के प्रति यह होता है, कि जिस उद्देश्य व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसे स्थापित किया गया है, उसे पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहे तथा उसका सकुशलता से संचालन करे, साथ ही स्वहित के साथ–साथ जनहित को भी ध्यान में रखे। उद्योग एवं व्यवसाय को स्वयं के लाभ वृद्धि एवं जनता को सामग्री का विक्रय करने हेतु किसी विशेष क्षेत्र सीमा में न बंधकर देश–विदेश के अनेक नवीन बाजारों में अपनी वस्तु के विक्रय हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए। उन्हें कभी भी स्वयं में एकाधिकार की भावना नही आने देना चाहिए, अपनी प्रसिद्धि को बनाये रखने हेतु लाभ में वृद्धि, उसकी क्षमता का विस्तार, आधुनिकीकरण, सुरक्षित कोषों का निर्माण, अनुसन्धान व प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने जैसे कार्य करते रहना चाहिए।

व्यवसाय एवं उद्योगों को अपने स्वामियों के प्रति उनके द्वारा विनियोजित पूँजी पर उचित व समयानुसार प्रतिफल प्रदान करने, पूँजी की सुरक्षा करने, उनके अंशों को अंश बाजार में सूचीबद्ध कराने जैसे उत्तरदायित्वों का वहन करना चाहिए। उन्हें ऋणदाताओं के ऋण को गोपनीय रखना चाहिए तथा उन्हें निश्चित समय पर ब्याज एवं मूल धनराशि का भुगतान करना चाहिए। निक्षेपकर्ताओं को उनके द्वारा जमा धन की सुरक्षा व उन पर ब्याज का नियमित भुगतान तथा उनकी इच्छानुसार उनका धन निकलवाने की सुविधा देना चाहिए।

किसी भी उद्योग एवं व्यवसाय का अपने कर्मचारियों के प्रति अत्यधिक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। अमेरिका की जनरल फूड कॉरपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री फ्रांसिस ने कर्मचारियों के सम्बन्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द कहे, "आप एक व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, उसकी शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, निश्चित मात्रा में मानव की स्नायु गति खरीद सकते हैं, किन्तु व्यक्ति का उत्साह, उसकी स्वामिभक्ति, उसकी आत्मा, निष्ठा तथा भावना नहीं खरीद सकते।" अतः व्यावसायिक तथा औद्योगिक घरानों को अपने कर्मचारियों, जो कि न केवल कर्मचारी वरन् पूँजी निर्माण में सक्रिय सहयोगी भी होते हैं, उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर उन्हें उचित पारिश्रमिक, दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति, लाभ में उचित भाग, सम्मान, अच्छी कार्य दशाएं, प्रशिक्षण एवं विकास हेतु सुविधाएँ, तथा पदोन्नति व प्रबंध में भागीदारी करने के अवसर प्रदान करना चाहिए।

किसी भी संस्थान द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन अपने उपभोक्ता या ग्राहकों हेतु ही किया जाता है। अतः उद्योग एवं व्यवसाय को वस्तुओं को प्रमापित कराकर अपने ग्राहकों को उनकी पसंद, रुचि एवं आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहिए, भ्रामक विज्ञापन से उन्हें भ्रमित नहीं करना

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 262- 267

चाहिए, उनकी शिकायतें सुनना चाहिए, उचित पैकिंग तथा विक्रय पश्चात् सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान करना चाहिए ताकि ग्राहक अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके।

उद्योग तथा व्यवसाय को अपने पूर्तिकर्ताओं को, जो उनके कच्चे माल, कार्यालय सामग्री, उपकरण, यन्त्र आदि की पूर्ति करते हैं, उन्हें न्यायोचित मूल्य एवं समय पर भुगतान करना चाहिए, साथ ही पूर्तिकर्ताओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण तथा किस्म में सुधार लाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

पेशेवर संस्थाएं जैसेः इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटटेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, प्रबंध संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटटेंट्स ऑफ इंडिया आदि उद्योग तथा व्यवसाय हेतु अनेक सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान करती हैं। अतः उद्योग तथा व्यवसाय को भी उनके प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करने हेतु उनकी सदस्यता स्वीकार करना, उनके द्वारा आयोजित सभाओं, संगोष्ठियों व सम्मेलनों में भाग लेकर अपने मूल्यवान विचार प्रस्तुत करना, इन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को रोजगार में प्राथमिकता देना, उनके द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं व साहित्य में लेख देना तथा उन्हें क्रय करना, उन्हें आर्थिक सहायता व अनुदान प्रदान करना, उन्हें अपनी शोध परियोजनाओं व अनुसन्धान में सहभागी बनाना, उनकी आचार–संहिताओं का पालन करना, उनके साथ शैक्षणिक व व्यावसायिक समन्वय स्थापित करना तथा इन संस्थाओं के डिप्लोमा/उपाधियों को प्राप्त करने हेतु अपने कर्मचारियों को अनुमति देना आदि कार्य करना चाहिए।

अन्य व्यावसायिक व औद्योगिक संस्थाओं के प्रति भी व्यवसाय को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों को भ्रमित कर आकर्षित न करना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच सहयोग का वातावरण निर्मित करना, औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास हेतु प्रयास करना आदि दायित्व निभाना चाहिए। स्थानीय समुदाय के हित में वातावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय, इन समुदायों को लाभान्वित करने हेतु प्रभावी गतिविधियों का संचालन एवं प्रोत्साहन तथा उन्हें रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने का कार्य करना चाहिए।

सरकार देश के विकास हेतु उद्योग तथा व्यवसाय के विकास को प्रोत्साहित कर उन्हें अनेक सुविधाएँ प्रदान करती है। अतः उद्योग तथा व्यवसाय को भी कर का समयानुसार उचित भुगतान कर, सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन कर, आर्थिक योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहभागिता कर, सरकार द्वारा मांगी गयी जानकारी प्रदान कर, आर्थिक असमानताओं को दूर करने में सरकार की सहायता कर अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। साथ ही राजनैतिक संबंधों का दुरूपयोग, प्रशासनिक कर्मचारियों को रिश्वत देना, क्षत्रु राष्ट्र के साथ व्यावसायिक सौदे करना, कालाबाजारी व मिलावट करने जैसे कृत्य नही करना चाहिए।

विश्व–समाज के प्रति भी उद्योग तथा व्यवसाय को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। इस हेतु उन्हें मित्र राष्ट्रों के व्यवसायियों की सहायता, उन्हें उचित मूल्य पर वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय–विक्रय, अविकसित एवं अर्द्धधविकसित राष्ट्रों में उद्योगों तथा व्यवसायों की स्थापना एवं विकास, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण, नवीन तकनीकी जानकारियों का आदान–प्रदान, आचरण–संहिताओं का पालन तथा विश्व व्यापार को बढ़ाने में सहायता आदि कार्य करना चाहिए।

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 262- 267

भारत में औद्योगिकए वं व्यावसायिक घरानों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन सम्बंधित कुछ उदाहरण :–

- स्वतंत्रता आन्दोलन के समय घनश्याम दास बिड़ला ने पूंजीपतियों से राष्ट्रीय आन्दोलन का समर्थन करने तथा कांग्रेस को मजबूत करने की गुजारिश की। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का समर्थन किया व राष्ट्रीय आन्दोलन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की, साथ ही सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया ।
- वर्ष 2001 में अजीज प्रेम जी ने 'अजीम प्रेमजी फाउंडेशन' की स्थापना की। यह एक ऐसा गैर लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तायुक्त सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना है, जो एक न्यायसंगत, निष्पक्ष, मानवीय एवं संवहनीय समाज की स्थापना में सहायक हो। यह फाउंडेशन भारत के लगभग 13 लाख शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु कार्यरत है। यह संगठन वर्तमान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी तथा मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर यह कार्य संपन्न कर रहा है। सन् 2010 में, अजीम प्रेमजी ने देश में विद्यालयीन शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 2 अरब डॉलर दान करने का वचन दिया। भारत में यह इस प्रकार का सबसे बड़ा दान है। कर्नाटक विधान सभा के अधिनियम के तहत अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गयी ।
- 'मैक्स इंडिया लिमिटेड' के संस्थापक एवं अध्यक्ष, अनलजीत सिंह की पहचान न केवल एक कुशल व गतिशील व्यवसायी के रूप में हुई बल्कि वे समाज–सेवा के क्षेत्र में भी अपना योगदान देते रहे हैं। इन्होंने 'मैक्स इंडिया फाउंडेशन' की स्थापना की तथा उसके सक्रिय अध्यक्ष के रूप में आज भी कार्यरत हैं। वर्तमान में यह फाउंडेशन 'एसओएस बाल ग्राम', 'मानव सेवा सन्निधि' तथा 'चिन्मय मिशन' जैसे कई अन्य गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर समाज–सेवा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रहा है।
- गत वर्ष सूरत के हीरा व्यापारी सावजी भाई ढोलकिया द्वारा दिपावली त्यौंहार के उपलक्ष्य में अपने कर्मचारियों के हित पर व्यय करने हेतु 50 करोड़ का बजट बनाया गया था, जिसमें उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को, जिनके पास स्वयं का रहवास(घर) अथवा गाड़ी नहीं थी, उन्हें फ्लेट या गाड़ी उपहार स्वरुप भेंट की गयी तथा जिनके पास ये दोनों थे, उन्हें आभूषण भेंट किये गए। उनका यह कार्य 45–46 करोड़ में पूर्ण हो गया, किन्तु इस हेतु उनके द्वारा अपने कर्मचारियों के समक्ष रखी गयी शर्त यह थी, कि यह उपहार उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो अपने माता पिता को साथ रखतें हैं। उन्होंने कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु यह भी नियम जारी किया कि दो–पहिया वाहन से आने वाले कर्मचारी यदि हेलमेट नहीं लगा कर आयेंगे तो उस दिन उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी।
- एसआरएस जैसे प्रसिद्ध व्यावसायिक समूह द्वारा अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में फरीदाबाद नगर निगम को 28 लाख रूपये की लागत की ऑटोमैटिक सीवरेज क्लीनिंग मशीन उपहार स्वरुप भेंट करना अन्य व्यावसायिक समूहों के लिए भी प्रेरणादायक कार्य है। पांच हजार लीटर पानी की क्षमता रखने वाली कैम्बी–5 एलसीएच नामक यह मशीन कैम–एविडा कम्पनी की है, जो कि नगर निगम क्षेत्र में जाम सीवरेजों की शीघ्रतापूर्वक सफाई करने में अत्यंत उपयोगी है।

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 262- 267

- सरदार इस्पात प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर द्वारा विद्यालयीन विद्यार्थियों को स्वच्छता, स्वयं के व्यक्तित्व का विकास एवं नैतिकता का विकास करने के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालय एवं गावों के बच्चों में अच्छे नागरिक बनने, स्वच्छता बनाये रखने तथा इस सम्बन्ध में जागरूक न रहने पर होने वाली हानियों से अवगत कराकर उनमें जागरूकता उत्पन्न की जाती है। यह संस्थान गत वर्ष इस प्रकार की वर्कशॉप द्वारा 56000 हजार विद्यार्थियों को इस सम्बन्ध में शिक्षित कर चुका है।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता हैं, कि भारत में औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों द्वारा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। उपरोक्त उदाहरणों के अतिरिक्त उद्योग तथा व्यवसाय द्वारा स्थानीय स्तर पर बस स्टॉप, पानी की प्याऊ, सुलभ शौचालय का निर्माण तथा वृहत स्तर पर विद्यालय एवं महाविद्यालयों का संचालन, अनाथाश्रम एवं वृद्धाश्रमों का संचालन, अस्पताल तथा विश्वविद्यालयों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि देश के उद्यमी एवं व्यवसायी समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति अपने दायित्वों का वहन कर अन्य लोगो को भी इस नेक कार्य को करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं।

सन्दर्भ :–

- उपाध्याय, शर्मा, दयाल, "व्यावसायिक वातावरण" आर.बी.डी. पब्लिकेशन जयपुर–नई दिल्ली, संस्करण 2010-11
- .Neelamegam, "Business Environment", 2nd Edition, Vrinda Publications (P) Ltd
- Prof M.B. Shukla, "Business Environment" Edition 2012 Taxmann Publication
- http://smallb.sidbi.in/hi/book/export/html/2864
- http://dainiktribuneonline.com/2015/07/औद्योगिक समूह सामाजिक दा/
- http://www.mpnewstoday.com/news-today/industrialists-organized-discharge-their-corporate-social-responsibility/http://hindi.culturalindia.net/
- http://hindi.indiawaterportal.org/node/38335